न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 92/2018

RCMS Case No. 2018/00116

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थी:–**

सरकार जरिये तहसीलदार रानी

1. रूपेन्द्रसिंह पुत्र शैतानसिंह
2. हणवन्तसिंह पुत्र शैतानसिंह
3. जयपालसिंह पुत्र शैतानसिंह
4. चन्द्रवीरसिंह पुत्र शैतानसिंह जातिगण राजपूत निवासी बूसी तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक - 12/6/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बूसी तहसील रानी के खसरा नम्बर 265/11 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 600 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम बूसी पटवार मण्डल बूसी के नामान्तरकरण संख्या 600 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बूसी तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 265/11 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 265 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 600 के जरिये अप्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 265 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी के पिता के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, पाली के आदेश क्रमांक/119 दिनांक 19.10.1977 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम बूसी तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 600 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली